



2026:AHC:17784

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1132/2026

सिराजुद्दीन खान

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : बीरेन्द्र कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

यह संज्ञान में लाया गया है कि जमानत आवेदन के ज्ञापन और वाद शीर्षक में आवेदक का नाम सिराजुद्दीन खान के स्थान पर त्रुटिवश सिराजुद्दीन खान अंकित हो गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया है कि उन्होंने उक्त त्रुटि के सुधार के लिए पहले ही एक पूरक शपथ पत्र दाखिल कर दिया है और रजिस्ट्री को इस त्रुटि को सुधारने हेतु उचित निर्देश जारी किए जाए।

रजिस्ट्री को कंप्यूटर अभिलेखों के साथ-साथ अन्य अभिलेखों में भी आवश्यक सुधार करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बीरेन्द्र कुमार, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री राजेश कुमार सिंह को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह वर्तमान जमानत याचिका आवेदक **सिराजुद्दीन** की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या- 230/2025, धारा 2, 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना मनियार, जिला बलिया में पंजीकृत प्रकरण में, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के दो मुकदमों का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

यह आगे निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उन्हें दुष्प्रेरित किया है। उपरोक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 20.11.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता (जमानत) प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया है कि न्यायालय में मुकदमों के भारी संख्या में लंबित होने के दृष्टिगत, विचारण) के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि गैंग चार्ट में दर्शाए गए आधारभूत मामले में आवेदक को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत के लिए मामला बनता है। अतः, जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक **सिराजुद्दीन** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें भयभीत करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले के आरंभ, (ii) आरोप तय होने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्षियों की उपस्थिति के दौरान साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (v) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

(न्यायामूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

27 जनवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दीपक/

Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**